अति–आवश्यक/पीएमएवाई–जी

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(13)/ग्राविवि–5/लेखा/PMAY-G/प्रस्ताव/2018–19/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 21/05/2021

सचिव,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु केन्द्रीयांश बकाया राशि जारी करने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2021 एवं 30.04.2021

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रमीण के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 2,03,060 आवासों की स्वीकृति जारी कर 90,834 (44.73%) आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसी कम में योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 से अब तक 13,36,399 स्वीकृत आवासों में से 11,36,829 (85.07%) आवास पूर्ण कर लिये गये है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन/निर्देशों की पालना में योजना के क्रियांवयन हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। योजनान्तर्गत केन्द्रीयांश व राज्यांश की जारी एवं व्यय राशि के स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि करोड में)

जारी केन्द्रीयांश	जारी राज्यांश	कुल जारी राशि	व्यय राशि
8972.79	5981.91	14954.80	13927.80 (93.13%)

योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में जारी स्वीकृतियों के विरूद्ध प्रासंगिक पत्रों द्वारा बकाया केन्द्रीयांश की राशि रू 682.07 करोड जारी कराने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन बकाया केन्द्रीयांश की राशि जारी होना अभी अपेक्षित है। आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित रिपोर्ट अनुसार 76,764 लाभार्थियों को देय द्वितीय /तृतीय किश्त की राशि रू 425.27 करोड के दायित्व लम्बित है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय द्वारा जारी परफोरमेंश इण्डेक्स के अनुसार प्रथम व द्वितीय फेज की प्रगति में राज्य का देश में प्रथम स्थान प्रदर्शित है। उक्तानुसार योजना का सफलतम क्रियान्वयन के कम में राज्य को केन्द्रीयांश की बकाया राशि जारी नहीं होने से योजना के लाभार्थियों को राशि समय पर जारी नहीं होने से योजना की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।

अतः आग्रह है कि योजनान्तर्गत वर्ष 20–21 मे स्वीकृत आवासों हेतु बकाया केन्द्रीयांश की राशि 682.07 करोड शीघ्र जारी कराने का श्रम करावे।

भवदीय,

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव(ग्रा.आ.) ,ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

D:\letter PMAYG.docx